# यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

रामकरण वगै० बनाम फूलबाई वगै०

मु.नं.- 8/22 किस्म - T.F

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23.12.25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रक्रमानुसार दिनांक 03.2.26 को पेश हो।

03.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने प्रा.पत्र O6R17 CPC का जवाब पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र O6R17 पर बहस करने एवं प्रा.पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रा.पत्र O6R17 CPC पर विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। प्रा.पत्र का एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी का प्रा.पत्र O6R17 CPC प्रा.पत्र T.I. के सम्बन्ध मूल दावा में स्वीकार हो चुका है। इसलिए प्रा.पत्र O6R17 CPC स्वीकार किया जाता है एवं प्रा.पत्र T.I. के पैरा सं. 2 एवं इन्दुआ में खाता सं. 70 व पुराना 74 के अराजी खसरा सं. 678/116 में रकबा 10.4 हैक्टे. के स्थान पर रकबा 1.04 हैक्टे. शुद्ध किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I. दिनांक 12.2.26 को पेश हो।

प्रा० पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार
उभय [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील उभय पक्ष कि की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली, तत्कालीन खसरा की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला-

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज |
| --- | --- |
| | रामकरण बनाम फूलीबाई<br>मु.नं.– 81/22 किस्म – T.A. |
| | अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 81/2022 | 01.11.2022 | 12.02.2026 |

**बउनवान**

1. रामकरण मीना पुत्र सुकल्या, निवासी कोठीन, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा ।

..प्रार्थी

**बनाम**

1. फुलबाई पत्नी स्व. विश्राम, निवासी कोठीन, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. धर्मसिंह पुत्र स्व. विश्राम, निवासी कोठीन, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. रामरूप पुत्र स्व. विश्राम, निवासी कोठीन, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. सविता पुत्री स्व. विश्राम, निवासी कोठीन, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
5. सुशीला पुत्री स्व. विश्राम, निवासी कोठीन, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
6. उपपंजीयक बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना ।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत**
**धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम कांकरवास, पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में भूमि खाता सं. 72 के खसरा सं. 118, 680/119, कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टे. एवं भूमि खाता सं. 69 के खसरा सं. 117 रकबा 0.18 हैक्टे., खाता सं. 70 के खसरा सं. 678/116 रकबा 1.04 हैक्टे. में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में प्रार्थी का खाता सं. 72 में 1/8 वां हिस्सा खाता सं. 69 में 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 70 में 9/106 वां हिस्सा है। विवादित आराजीयात जिसका अभी तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है जिसको मौके पर बाहमी तौर बांट रखा है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है लेकिन भूमि का तकासमा नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा भूमि को लेकर व फसल बोते समय व काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो जाता है। विवादित आराजीयात सडक के लगती हुयी भूमि है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 के मन में अब बदयान्ती हो गयी है तथा वे अब बिना भूमि का विधिवत तकास्मा हुये ही प्रार्थी की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया अतिक्रमण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करते हुये दुकानो का पुख्ता निर्माण करके दीगर सख्स को रहन व बय करने तथा कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करने पर आमादा है एवं धमकी दे रहे है कि न तो भूमि का तकास्मा करवायेंगे, न ही प्रार्थी को उसकी भूमि का उपयोग करने देंगे। हम हर सूरत में सडक के लगती हुयी भूमि पर हमारा एकाधिकार करके रहेगे तथा प्रार्थी के हिस्से में आयी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके रहेंगे तथा ऐसे लोगो को बेचान करके रहेगे जो कि लाठी के जोर पर प्रार्थी को बेदखल कर देंगे। प्रार्थी को सडक के लगती हुयी भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं देगे। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा प्रार्थी से आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। दिनांक 20.09.2022 को प्रार्थी की गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुये तथा प्रार्थी को सडक के लगती हुयी भूमि पर उसके हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर अप्रार्थीगण ने पत्थर बजरी डालना शुरू कर दिया तथा निर्माण करने के लिये नींव खोदने पर आमादा हो गये। प्रार्थी ने मना किया तो जान से मारने पर आमादा हो गये तथा बिना तकास्मा हुये ही प्रार्थी की सडक के लगती हुयी भूमि को बेचान करने की बाबत् बातचीत करने लगे व भूमि को दिखाने लगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि अब हम प्रार्थी के हिस्से की सडक के लगती हुयी भूमि को बेच कर रहेगे तथा प्रार्थी के खेतो में जबरन कब्जा करके निर्माण करने की धमकी दी कि अब हम भूमि को दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे, तुम्हे बेदखल करके रहेगे, काश्त नहीं करने देगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकास्मा करवालो। फिर आप अपने हिस्से की पर चाहे निर्माण करो या भूमि को बेचान कर देना तो अप्रार्थीगण तकास्मा करवाने से भी साफ इंकार हो गये। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पड़ेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगे। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के व अधीनस्थ कर्मचारीयों के उक्त विवादित आराजीयात का जब तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे, तब तक किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, सडक के लगती हुयी प्रार्थी की भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने से. प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय झगडा फिसाद करने से तथा प्रार्थी की भूमि में उगे हुये पेड पोधो को खोदने से काटने से, किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से एव अप्रार्थी सं. 6 विवादित आराजीयात की बाबत अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि किसी भी प्रकार तब्दीली करने से पाबंद रहे एवं अप्रार्थीगण विधिवत तकास्मा होने तक विवादित आराजीयात की मौके की व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे ।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 06 ने न्यायालय में कोई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थी ने आदिनांक तक तकास्मा की अप्रार्थीगण से नहीं कहा। अप्रार्थी सं. 1 विधवा महिला है, छोटे छोटे बच्चे है और प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 को हमेशा परेशान करता रहता है। अप्रार्थी सं. 01 को परेशान करने के लिए सीमेन्ट के पोल खड़े कर किये है जिससे अप्रार्थी सं. 01 के खेत में जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है तथा उक्त सीमेन्ट के पोलों पर तार लगा दिये तो अप्रार्थी सं. 1 के खेत में ट्रैक्टर वगै. नहीं जाने के कारण उक्त खेत पड़त रह जावेगा तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना पुख्ता निर्माण करने की कोशिश की है और ना ही किसी दीगर शख्स को बेचान करने की धमकी दी है जबकि प्रार्थी, अपार्थीगण को निर्माण करने व बेचान करने की धमकी देता है।

**3.** प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

**4.** पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

**5.** प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2075–78 के अनुसार, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। विवादित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्व वाद पत्र के जरिये प्रार्थी द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

## आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)